भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 724
29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एपिसियोटॉमी प्रक्रिया का प्रचलन

724. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में एपिसियोटॉमी प्रक्रियाओं की संख्या संबंधी आंकड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने अस्पतालों, विशेषकर निजी अस्पतालों में एपिसियोटॉमी के अत्यधिक उपयोग को दर्शाने वालीरिपोर्टों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में एपिसियोटॉमी के उपयोग को विनियमित करने और इसके उपयोग संबंधी जानकारी देने के लिए सरकारद्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों को एपिसियोटॉमी सहित प्रसव कक्ष की कार्यप्रणालियोंऔर प्रसूति संबंधी कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

एनएचएम के तहतइसके संबंध में कई उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लक्ष्य** कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य प्रसव कक्षों और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य परिचर्या की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सम्मानजनक और गर्भवती महिला-केंद्रित प्रसूति स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइव्स को प्रशिक्षित किया जाता है।
- मूलभूत आपातकालीन प्रसूति और नवजात शिशुदेख-रेख (बीईएमओएनसी) और व्यापक आपातकालीन प्रसूति और नवजात शिशुदेख-रेख (सीईएमओएनसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम में एमबीबीएस डॉक्टरों को गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवाएं प्रदान करने के कौशल में निपुण बनाया जाता है।

******